

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ3(ख)डी-2949/2013/अलेसे-III/1443

दिनांक :- 25.11.2022

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश सं. 262/2017-18 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित (मेरिट नं. 2949 बैच 2013 लिंक नं. 12975) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए कमाण्डेंट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर में पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री दीक्षित द्वारा दिनांक 29.01.2018 (मध्याह्न पश्चात) को कार्यग्रहण किया गया। वर्तमान में श्री धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर कार्यालय निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत हैं।

कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(269)/आरएसबीसीएल/प्रशासन/संस्थापन/2022-23/7686 दिनांक 07.11.2022 द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II का चयन प्रतिनियुक्ति पर सुपरवाईजर के पद पर किया गया है।

अतः संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ(118)/संस्थापन/असमावि/क.लेखा./2019/16197 दिनांक 14.11.2022 द्वारा अग्रेषित श्री दीक्षित के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2022 के आधार पर राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर नियमानुसार कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री दीक्षित अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही नव प्रतिनियुक्ति पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर सकेंगे। वर्तमान में श्री धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लंबित नहीं है एवं न ही इन को सी.सी.ए. नियमों के तहत दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(के.जी.गुप्ता)

अति. निदेशक (कार्मिक-II एवं III)

क्रमांक :- एफ3(ख)डी-2949/2013/अलेसे-III/1443

दिनांक :- 25.11.2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक एफ.1(269)/आरएसबीसीएल/प्रशासन/संस्थापन/2022-23/7686 दिनांक 07.11.2022 के क्रम में प्रेषित है।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि श्री दीक्षित को नियमानुसार कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करावें।
3. श्री धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से नियमानुसार कार्यमुक्त होने के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति विभाग में कार्यग्रहण करेंगे।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन शाखा।
7. रक्षित/ निजी पत्रावली।

(के.जी.गुप्ता)

अति. निदेशक (कार्मिक-II एवं III)